अपराध गोष्ठी

पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश–

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध निस्तारण करने, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोण्डा श्री अमित पाठक व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। जिसका मुख्य विषय '' जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना''। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी कर विवेचना निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए । महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी । महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

डीआईजी महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में चलाये जा रहे अवैध अतिक्रमण अभियान को शालीनता, शांतिपूर्ण व अनुशासन में रहकर किया जाये । इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर से संवाद स्थापित किया जाए । अपराध की घटनाओं का जल्द से जल्द अनावरण किया जाये तथा अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए । सर्दी के मौसम को देखते हुए रात्रि गस्त को और अधिक प्रभावी किया जाए जिससे चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है। बिना नम्बर प्लेट/यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ–साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देश दिए गए। पीआरवी वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया। आपरेशन त्रिनेत्र के तहत सड़कों, चौराहों, पार्क, होटल, ढाबों, स्कूल, बैंक व पेट्रोलपंप पर लगाये गए

सी0सी0टीवी0 कैमरों को चेक करना सुनिश्चित करें तथा गडबड़ी की स्थित में उन्हे दुरूस्त कराया जाए। संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध कर त्यौहारों पर विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि सभी थाना प्रभारी बिना अनुमति के बज रहे डीजों पर कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए, डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर लिए जाए और संचालक पर कोलाहल अधि0 के तहत कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेना सुनिश्चित करेंगी। महोदय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कि महिला सुरक्षा अभियान की समीक्षा करेंगे तथा एण्टी रोमियों एवं मिशन शक्ति टीम के साथ स्कूलों/कालेजो में जाकर जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने हेतु निर्देशित किया गया

गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2024 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 101 अभियुक्तों के विरुद्ध 28 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 79 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 83,02,729/– रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 190 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 14 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी है। डी0जी0पी0 महोदय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोण्डा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या, लूट, नकबजनी आदि के 194 अभियोगों में 365 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है इनमें से 47 अपराधियों को आजीवन कारावास, 71 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 247 अपराधियों को 10 वर्ष से कम की सजा हुई है तथा महिला सम्बन्धी अपराधों के 77 अभियोगों में 104 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है । इनमें से 09 अपराधियों को आजीवन कारावास, 49 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 46 अपराधियों को 10 वर्ष से कम की सजा हुई है ।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.12.2024</u>

<u>आपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीडित की फ्रॉड गयी 1,00,000/– की धनरॉशि करायी वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक गोण्डा को बुके भेट कर दिया धन्यवादः–</u>

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **<u>1,00,000/– (</u>**एक लाख रूपये) पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आवेदक राजेश कुमार तिवारी पुत्र जगदम्बा प्रसाद तिवारी नि0 ग्राम इमलिया छीटू तेलियाकोट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा फ्राड कॉल पर विश्वास करके लालच में आकर रूपए ट्रांसफर कर दिया था। साइबर फ्रॉड ठगी के उपरान्त आवेदक द्वारा इसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष एवं 1930 पर की गयी थी। जिस पर जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 1,00,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल को बुके भेंट कर धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 20.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया गया जायजा –

गोण्डा। आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा ड्यूटी पर लगे जवानों के पास मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक किया गया तथा चिन्हित हॉटस्पॉट एवं शोभा यात्रा/जुलूस में लगे जवानों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर गणेश प्रतिमा विर्सजन के आयोजको/संचालकों/प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, श्रद्धालुओं एवं मौलवी व धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी साथ ही अवगत कराया गया कि शोभायात्रा/जुलूस के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किए गए है। शोभायात्रा/जुलूस में पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों में बाक्स फार्मेट में पुलिस प्रबन्ध किए गए है। संवेदनशील स्थलों के जुलूस के मार्गो पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पीएसी बल को भी लगाया गया है। शोभायात्रा/जुलूस के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित वीडियोग्राफी करायी जा रही है। समस्त कार्यक्रम स्थलों के आसपास तथा जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करवायी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन के समय नदियों/सरोवरों में जल पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया गया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.12.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2024 को प्रस्तावित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के दृष्टिगत निधारित परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2024 को प्रस्तावित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के दृष्टिगत निधारित को0 नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा परीक्षा हॉल, सी0सी0टी0वी0 कैमरों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा कालेज संचालकों के साथ परीक्षा केन्द्र पर बिजली, पानी, शौचालय व अभ्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था आदि के विषय में चर्चा कर बेहतर व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 की परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी गयी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं और सम्बन्धित अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहें। राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 जनपद में दिनांक 22.10.2024 (पूर्वान्ह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं अपरान्ह् 2:30 बजे से 4:30 बजे तक) को 16 परीक्षा केन्द्रों में होना सुनिश्चित है। जिसमें 6720 छात्र प्रतिभाग करेंगे। हर परीक्षा केन्द्रों पर एच0एच0म0डी0 के साथ चेकिंग/फ्रिस्किंग की जायेगी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 20.12.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा झपट्टा मार कर मोबाइल छीनने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल फोन बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–529/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त अंकित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव नि0 ग्राम लल्लू पुरवा मौजा इटरौर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को शम्भूननगर बुटहा गांव जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.10.2024 को वादिनी पुष्पा देवी पत्नी विजय कुमार निवासिनी ग्राम चिरइया चौराहा थाना को0 मनकापुर के साथ दो मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छपट्टा मारकर ले जाने की घटना कारित की थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी की तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 20.12.2024 को थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अंकित श्रीवास्तव को शम्भूननगर बुटहा गांव जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंकित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव नि0 ग्राम लल्लू पुरवा मौजा इटरौर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 529/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बालमुकुन्द चौहान मय फोर्स।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा को0 नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित बडी संगत मंदिर परिसर व आश्रम का किया गया स्थलीय निरीक्षण। आश्रम के महंत से सकुशलता जान सम्बन्धित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ऐतिहासिक बड़ी संगत मंदिर परिसर का भ्रमण कर मंदिर के पुजारियों/महन्त से संवाद स्थापित कर कुशलक्षेम लिया गया तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने हेतु बताया गया। विदित हो कि थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत इमामबाड़ा स्थित 200 वर्ष पुराने बड़ी संगत मंदिर जो हिन्दु देवता हनुमान जी को समर्पित है। जिसके परिसर व मुख्य द्वार पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था। जिसकों कुछ दिन पूर्व ही प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वहां उपस्थित क्षेत्राधिकारी नगर एवं थाना प्रभारी को0 नगर को निर्देशित किया गया कि आसपास प्रभावी गश्त करते हुए सतत दुष्टि रखी जाए जिससे अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान पर पुनः कोई अतिक्रमण न होने पाए।

मीडिया सेल, गोण्डा।